

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/स्था.-पद. 04-23/2018...../ राँची, दिनांक :/

आदेश

श्री खुर्शीद आलम गौहर, कनीय अभियंता (आई० डी०-जे०-8578) सिंचाई प्रमंडल, देवघर का विभागीय आदेश सं०-2283 दिनांक-28.07.18 के क्रमांक-74 अंतर्गत किए गए स्थानांतरण को तत्काल स्थगित किया जाता है।

2. श्री गौहर, कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, देवघर में यथावत् बने रहेंगे।
3. उपर्युक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/मुख्य अभियंता, ईचा गालूडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, देवघर/बायोडाटा कोषांग/संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :- 3551

राँची, दिनांक :- 24/10/18

प्रतिलिपि:-वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को विभागीय वेबसाइट पर Upload करने हेतु प्रेषित।


23/10/18

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव